न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 65/2024

श्री जहूर मोहम्मद खान पुत्र नजीर मोहम्मद खान निवासी अब्दुल्ला मार्केट निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0 अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>**निर्णय**</u> दिनांक 09.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 जयपुर रोड से नगर पालिका निवाई प्रवेश द्वार के अन्दर की ओर प्रवेश करते हुए बनस्थली मोड के सामने से होते हुए ढाणी जमात की ओर बढते हुए, दामोदर गोशाला के सामने होते हुए, थाना निवाई के सामने होते हुए झिलाय वालों का बाग, हरिजन बस्ती के सामने होते हुए अहिंसा सर्किल हायर सैकण्डरी स्कूल, बस स्टेण्ड होते हुए पहाडी चूंगी नाका होते हुए दशहरा मैदान जनता कॉलोनी टोंक रोड नगर पालिका प्रवेश द्वार तक मुख्य सडक (रोड) के दोनो ओर की रास्ता भूमि, नजूल सम्पति राजस्व भूमि, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि मय नक्शा ट्रेस के प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु।

2 पूर्व उपखण्ड अधिकारी श्री सत्येन्द्र शर्मा के कार्यकाल सन् 2005–06 के मध्य जो भी हो उपरोक्त सडक के दोनों ओर एवम् अन्य अतिक्रमित भूमि के विरूद्व लिए गये फैसले की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 20.11.2024, 1797 दिनाक 05.12.2024, 1966 दिनांक 26.12.2024 व 11 दिनांक 02.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को

जिला कलेक्टर
टोंक

उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
राजस्थान